निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 27/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

भागीरथ पुत्र स्व॰ श्री सीताराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासुला, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जरिये पीठासीन अधिकारी
2. घासीराम पुत्र श्योला
3. बोदूराम पुत्र श्योला

   जाति जोगी, ग्राम माथासुला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 103/2021 ब उनवानी रामजीलाल बनाम घासी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 103/2021 ब उनवानी रामजीलाल बनाम घासी दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 103/2021 ब उनवानी रामजीलाल बनाम घासी विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादीगण ने हाजीर अदालत आकर अपने जवाब दावा के लिये समय चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के वाद में बिना किसी प्रारम्भिक डिक्री के आदेश के ही

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कुर्रेजात रिपोर्ट के लिये तहसीलदार जी को दिनांक 20.08.2022 को आदेशित कर दिया। जबकि उक्त कुर्रेजात पूर्व में जारी खसरा नम्बरान व हिस्से के बारे में थी। इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने ही एक पक्षीय रूप से दिनांक 22.12.2022 को अप्रार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा–151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र जो कि स्व. सीताराम जी के पिता के संबंध में प्रस्तुत किया गया था जबकि पत्रावली में पूर्व से ही सीताराम जी के वारिसान मौजूद है तथा कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं कर सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकार कर लिया। दिनांक 16.01.2023 को ही अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 का जो कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र को भी गैर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकार कर लिया। जहां एक बार सेटलमेन्ट हो जाने के पश्चात नये नम्बर जमाबन्दी में दर्ज होने के तत्पश्चात पुराने नम्बरों की पुनः स्थिति बहाल करने के लिये वाद कारण व घोषणा का दावा लाना आवश्यक है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना घोषणा के वाद के ही पुराने नम्बरों को नये खसरा नम्बरों में प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जो भारी कानूनी त्रुटी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्राथमिक डिक्री के हि अन्य मुकदमात में प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट को पत्रावली में शामिल करते हुये वास्ते कुर्रेजात बहस रखा तथा अब अन्तिम डिक्री करने पर आमादा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी प्रक्रियात्मक व कानूनी बिन्दुओ को नजरदांज करते हुये कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय राजनैतिक प्रभाव में आकर बिना किसी प्राथमिक डिक्री के ही कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाकर अन्तिम निर्णय करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि प्रार्थी की कुर्रेजात रिपोर्ट बगैर कोई फैसला किये ही अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में अन्तिम निस्तारण करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि अगर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने में आंशका है तो प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।
6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थी ने न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ, जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रखकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 103/2021 व उनवानी रामजीलाल बनाम धारी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर को स्थानान्तरित किया जाता है।

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर